साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 49 | प्रति सोमवार इंदौर, 08 जुलाई से 14 जुलाई 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

मध्य प्रदेश बजट 24-25 फर्जी समंकों की बाजीगरी

कृषि जनता प्रदेश, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, कृषकों का शोषण

हजारों करोड़ विज्ञापन खर्च फिर भी कहीं नहीं दिखाया। विभिन्न विभागों में 5 लाख पद खाली बजट में नहीं कोई व्यवस्था।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपना नया बजट पेश किया और पूर्व की भाजपा की सरकारों की तरह उन्होंने जैसे कि कभी भी कोई भी पूरा बजट सत्र जो मात्र 15 दिन का था। जबकि कांग्रेस के समय में यही बजट सत्र 2 महीने का हुआ करता था। ताकि सार्थक बहस हो और जनधन का सदुपयोग किया जा सके। पर यह घोर भ्रष्ट जालसाज भुखेरा जन पार्टी गिरोह ने अपने 20 साल पुराने इतिहास को दोहराते हुए बजट सत्र जो मात्र 20 दिन का था उसे भी बजट पेश करते ही हंगामे खड़े कर खत्म कर दिया। ताकि उनकी लूट वसूली भ्रष्टाचार पर कोई भी उंगली ना उठे बहस ना हो और जो उन्होंने पास कर दिया वह उनके बाप की जागीर और लूट का छूट के लिए धन का स्रोत बन जाए की व्यवस्था अवश्य की गई। जो बजट में समंक और सांख्यिकी की प्रस्तुति व प्रदर्शन किया गया। वह पूर्णताः जो योजनाएं दिखाई गई है कृषि उद्यानिकी, ग्रामीण व शहरीय विकास, महिला बाल विकास, शिक्षा स्वास्थ्य वन रोजगार आदि अधिकांश अपना इतिहास दोहराते हुए सभी मंत्रालयों में बैठे हुए प्रधान सचिव आयुक्त संचालक प्रमुख अभियंता आदि कागज पर खर्च दिखाकर यह इंजन प्रकरण इस पूरे बजट का 25

से 40% धन हजम कर जाएंगे। लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, नर्मदा घाटी के बड़े निर्माण सुधार व रखरखाव के कार्यों में मोटी कमीशन खोरी की पूरी व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग में सामग्री की खरीदी में जो स्टार हैं होती है 50 से 80% तक कमिशन आजम किया जाता है हर जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग के औषधि निरीक्षकों को जिले से लेकर गांव हो तो आपूर्ति की जाने वाली दवाइयां उपकरणों वह अन्य सामग्री का वाचन नमूने लेकर निरीक्षण करना चाहिए जो पिछले 20 सालों से कभी नहीं हुआ और इसलिए औषधीय स्तरहीन न यहां तक की समय बाधित होती है खरीद ली जाती है और उसमें मोटर कमीशन हजम कर लिया जाता है। फिर स्वास्थ्य विभाग की ठेके पर लगाई गई। सड़क पर एंबुलेंस चलती नहीं, परंतु एयर एंबुलेंस के नाम पर विभागीय महिला कर्मियों के साथ उनकी विवशता का लाभ ले दे हवा में मौज मस्ती की व्यवस्था अवश्य की गई है फितरती दिमाग के फितरती कारनामे चिकित्सा की अपेक्षा मौत का कारण न बन जाए। क्योंकि वह हवाई जहाज है एक बार 12 फीट जमीन छोड़ने के बाद फिर मशीन भगवानऔर आपकी किस्मत ही होती है हवा में। उन विमानों का नियमित रखरखाव तेल पानी मरम्मत देख-रेख नहीं की गई तो मौज-मस्ती मौत में भी बदल सकती है। (शेष पेज 6-7 पर)

हमारी आजादी पट्टे की, हम ब्रिटेन के उपनिवेश, इसलिए महत्वपूर्ण

सुनाक की हार, प्रवासियों को रोकने का प्रभाव

14साल बाद कंसरवेटिव्स की जीत, भारत से बढायेंगे स्टामर प्रीत

ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 650 सदस्यीय संसद में 403 सीटें जीतीं और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुआई वाली कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल के शासन को समाप्त कर दिया। ब्रिटेन की जनसंख्या छह करोड़ सत्तर लाख है, जिसमें 18 लाख भारतीय मूल के नागरिक शामिल हैं , जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिश-हिंदू समुदाय, ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह, अपनी राजनीतिक आवाज़ को पहले से कहीं ज्यादा मज़बूती से उठा रहा है और यहाँ तक कि उसने एक 'हिंदू घोषणापत्र' भी जारी कर अपने उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतारे थे।

निवर्तमान ब्रिटेन के संसद में, 15 भारतीय मूल के सांसद थे - लेबर से आठ और कंजर्वेटिव पार्टी से सात जो 65 गैर-श्वेत सांसदों में शामिल थे, यानि 10 प्रतिशत जो ब्रिटिश राजनीतिक इतिहास में

जातीय रूप से उसे सबसे विविध सदन बनाता था । लगभग तीन प्रतिशत की आबादी वाली पर आर्थिक रूप से संपन्न ब्रिटिश हिन्दू समाज को लुभाने के लिए ब्रिटेन के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने अधिकतम संख्या में भारतीय मूल के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इस दौड़ में 107 ब्रिटिश-भारतीय शामिल थे। अब प्रमुख विजेताओं में ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी के निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सुएला ब्रेवरमैन, शिवानी राजा, गगन मोहिंद्राबब और प्रीति पटेल शामिल हैं।

लेबर पार्टी के कुछ सदस्य जिन्हें लेबर सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, वे हैं लिसा नंदी, जिनका संबंध बंगाल से है, नवेन्दु मिश्रा, गोरखपुर के मूल निवासी, कनिष्क नारायण, प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह ढेसी जो ब्रिटिश संसद के पहले पगड़ीधारी सिख सांसद होंगे। राजनीतिक प्रबंधकों को ब्रिटिश हिन्दू मतदाताओं के मतदान के रूझान का पता लगाने में समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि इस चुनाव में उन्होंने लेबर पार्टी का साथ दिया है।

ब्रिटेन की लेबर पार्टी के साथ भारत की स्वतंत्रता भी जुडी हुई है। 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर, लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के वादे के साथ विंस्टन चर्चिल को करारी हार देकर चुनाव जीता और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को उसी वर्ष रिहा भी कर दिया,

(शेष पेज 3 पर)

भ्रष्ट, जालसाज मालवीय को बचा रही भाजपा, पुलिस, प्रशासन

आखिर व्यापमं, लोक निर्माण विभाग के आरोपी को क्यों दिया जा रहा संरक्षण

भाजपा पूर्व मु.मं. शिववराज, प्रमं मोदी गृहमंत्री अमित शाह मोहन यादव के नाम का उपयोग कर, शून्य से शिखर पर

मध्य प्रदेश के प्रशासन में बैठे घोर भ्रष्ट जालसाज कमीशन खोर मुख्य सचिव विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव संचालक आयुक्त कार्य विभागों लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, नर्मदा घाटी आदि के प्रमुख अभियंताओं से लेकर मुख्य अधीक्षण कार्यपालन यंत्रियों व न्यायालयों में बैठे सरकारी वकीलों द्वारा मोटे धन, कमिशन व सुरा सुन्दरियों की सेवाओं के आधार व बदले में कैसे भ्रष्ट जालसाज ठेकेदारों कंपनियों संगठित अपराधियों गिरोहों को पाला पोशा व संरक्षण दिया जाता है। इसका उदाहरण है लक्ष्मी नारायण मालवीय जो खरगोन से निकलकर भोपाल दिल्ली तक अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर चुका है। और अपने पुत्र क्यों अपराधों को छुपाने बचाने अधिकारियों नेता और शिकायतकर्ताओं को डराने धमकाने अपनी न्यूज़ चैनल चला रहा है।

खरगोन निवासी भोपाल के नामी बिल्डर और टीवी 27 के डायरेक्टर एलएन मालवीय पर धोखाधड़ी के मामले में EOW ने तो शिकंजा कसा ही है, मगर यही इकलौता मामला नहीं है। एलएन मालवीय यानी लक्ष्मीनारायण मालवीय प्रदेश के सबसे बड़े व्यापमं घोटाले में भी एक प्रमुख आरोपी रहा है। मालवीय पर MPPMT 2013 परीक्षा घोटाले के मामले में व्यापमं के अधिकारियों से सांठगांठ कर स्कोरर बैठाकर परीक्षार्थी को पास कराने का गंभीर आरोप है।

EOW ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

मध्य प्रदेश के भोपाल के नामी बिल्डर एलएन मालवीय के खिलाफ EOW ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मालवीय के अलावा चार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित कुल 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। यह मामला प्रदेश के 106 पुलों के निर्माण में काम न करने के बाद भी मिलीभगत करके भुगतान उठाने का है। दरअसल मध्य प्रदेश के राज्य एवं मुख्य जिला मार्गों पर पुल निर्माण के लिए सुपरविजन कंसलटेंसी जबलपुर का ठेका स्वीकृत हुआ था। इस निर्माण एजेंसी के लिए कंसल्टेंट एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड भोपाल को अधिकृत किया गया था। (शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

परजीवी, भाजपाई व राष्ट्रीय सेवक संघ सनातनी रक्तचूषक परजीवी याने शरीर के रक्त चूषक पिस्सू !!!

खून चूसने वाला, दूसरे के दिये पर जीने वाला, औरो को खाकर जीने वाला.. हिंदी में परजीवी कहते है। परजीवी का अस्तित्व स्वतंत्र नही होता। उसे जिंदा रहने के लिए किसी का आश्रय चाहिए। यह आश्रय देने वाला, परपोषी कहलाता है। अंग्रेजी में उसे होस्ट कहते है। सत्य यह है कि दुनिया परपोषी-परजीवी सम्बन्धो का एक जाल है। हर जीव, जीवन मे दोनो भूमिकाओं में होता है। याने कभी आप परपोषी होते है,किसी को खून पिलाकर पालते है। कभी परजीवी होते है, जैसे भाजपाई व राष्ट्रीय सेवक संघ जो 1930 से सनातनियों कोधर्म संस्कृति परंपराएं इतिहास का पाठ पढ़ा व धर्म की अफीम चटा सनातनियों बामन, बनिए, राजपूतों, पिछड़े, दलितों, आदिवासियों को भय फैला भ्रमित कर आपस में शत्रुता बढ़ा, फैला, हिंदु मुस्लिम कर वैमनस्यता से युध्द करवा, संघर्ष की भूमिकायें निभा करवा उनका जीवन रस पीकर जीते व सत्ता हथिया सब को लूट व देश बर्बाद करते हैं। सभी परजीवी, हत्यारे नही होते। चालाक परजीवी वह होता है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है। अपनी भूख,अपनी सँख्या,अपने असर पर। याने अकबर बनकर पालक को जीने नही देते, सलीम बनकर मरने भी नही देते। पालक, संरक्षक बेचारा अनारकली की तरह न ठीक से जीता है.. न मरता है। पर बहुधा होस्ट और पैरासाइट में बड़े अच्छे सम्बन्ध बन जाते है। जैसे कि लाइकेन.. यह शैवाल और कवक का एक सहजीवी सम्बन्ध होता है। जिसके कारण शैवाल, सूखी पथरीली चटटानो पर जी सके। मिट्टी बनाई, धरती पर जीवन का आधार बनाया। आज भी बहुत सी जीवन रक्षक दवाएं, हम इन लाइकेन से प्राप्त करते हैं। यह आदर्श सम्बन्ध है।लेकिन हर परजीवी लिहाजदार तो होता नही। कुछ ऐसे भुखमरे भी होते है, जो सटासट खून चूसकर होस्ट को मार डालते है। एक बार एंट्री भर मिल जाये,अपनी सँख्या इतनी बढा लेते है, कि होस्ट का शरीर बीमार हो जाता है। जर्जर होकर मर जाता है। तब कुछ परजीवी होस्ट के साथ खत्म हो जाते है, कुछ अंडे या स्पोर जैसे सूक्ष्म रूपों में बचकर, सही वक्त का इंतजार करता है। बिल्कुल किसी राजनीतिक दल की तरह..हाल में संसद में कांग्रेस को परजीवी दल बोला गया। शास्त्रीय नजरिये से देखें तो स्टेटमेंट, निहायत ही अनसाइंटिफिक और एंटायर एमए वाली गलत शिक्षा का नतीजा दिखता है। कांग्रेस, तो आज पगलू किस्म की उपकारी, और परपोषी दल है। तृणमूल कांग्रेस हो, या राष्ट्र्वादी कांग्रेस, वाइएसआर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल - सभी कांग्रेस के जनाधार पर खड़े है। कांग्रेस उनसे नेगोशिएट करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, पर खत्म नही करती। जिस डीएमके और कम्युनिस्ट ने उसका आधार छीन अपनी जगह बनाई, उन्हें भी अपने लंबे शासनकाल में जीने, चलने और बढ़ने का मौका दिया। और उन्हें आज खुशी खुशी, इंडिया गठबंधन में समेटे हुए है। राहुल की यह नई कांग्रेस है, जो लाइकेन की तरह, अच्छा सहजीवी सम्बंध बना चुकी है। इससे फेडरलिज्म, सहयोगी सरकारें, क्षेत्रीय आकांक्षाओ का लोकतन्त्र में सम्मान जैसी स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक निकले हैं। याद रहे, इस देश ने सबसे ज्यादा ग्रोथ.. सबसे सुंदर समय तब देखा, जब मिली जुली सरकारे, क्षेत्रीय शक्तियों से सामंजस्य कर देश चलाती थीं। परजीवी तो उस दिन ट्रेजरी बेंचेज में बैठे थे। ऐसे परजीवी, जो जिससे भी चिपके, उसका सत्यानाश कर दिया। कभी मुस्लिम लीग से चिपक कर जिये, कभी जेपी के आन्दोलन से खाद पानी लिया। दोनों को चूसकर, अलग हो गए। आप क्षेत्रीय शक्तियों का नाम लेते जाइये, जिनसे ये जुड़े।आज हर एक, अपने अस्तित्व का संघर्ष करता मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल 1 सांसद तक सिमट चुका। शिवसेना खण्ड खण्ड है। जेडी यू चुनाव दर चुनाव घटती गयी, जेडीएस अपने न्यूनतम पर है। अन्नाद्रमुक निपट गयी, मायावती खत्म हो गयी। राकांपा (अजीत) और जगनमोहन सांस नही ले पा रहे। नवीन पटनायक लोकसभा और उड़ीसा दोनो से साफ हो गए। चंद्रबाबू की तेलगुदेशम साथ है, लेकिन किसी को याद हो, की NDA में अटल के समय NTR फेक्शन वाली टीडीपी हुआ करती थी। खत्म हो गई। हर एक का जनाधार, उसका मास बेस, उसके नेता, उसका संगठन- आरएसएस भाजपा ने चर लिया। ये बढ़ गए, और पोषण देने वाला, बुलाने, बिठाने, जगह देने वाला खत्म हो गया। अगर परजीवी की शास्त्रीय परिभाषा निकाली जाए, तो विज्ञान की किताबों में लिखे तमाम लक्षण तो भाजपा आरएसएस के लिए लिखे दिखाई देंगे। और ये सहजीवी नही, पैथोजेनिक पैरासाइट है। याने जहां होंगे, वहां तरह तरह की बीमारियां होंगी। जब ऐसे पैरासाइट का प्रकोप होता है, तो ताप बढ़ता है। बुखार आता है, सूजन होती है, आंखों से पानी निकलता है, भूख प्यास मिट जाती है। शरीर से खून चुक जाता है। इंसान बड़बड़ाने लगता है, मौत आंख के सामने नाचती है। यह भारतीय समाज का हाल है। नीम हकीम ऐसे में बुखार की दवा देते है, आँखों मे दवा डालते हैं। खून उधार मांगकर चढ़ाते हैं। पर ये महज लक्षणों का इलाज है, बीमारी का नही। बीमारी अगर परजीवी की वजह से है, तो परजीवी का इलाज करना होगा। आपको कीड़े पहचानने पड़ेंगे। फिर कीड़े मारने की दवा खानी पड़ेगी।

आखिर व्यापमं, लोक निर्माण विभाग के आरोपी को क्यों दिया जा रहा संरक्षण

TV 27 के डायरेक्टर सहित PWD के 4 अधिकारियों पर EOW में मामला दर्ज

पेज 1 का शेष

कुल 106 पुलों के निर्माण की निविदाओं की लागत 12.25 करोड़ रुपए थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के NDB डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर सहित अन्य तीन अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए एलएन मालवीय को 26 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में सरकार को 13 करोड़ 86 लाख रुपए का चूना लगाया। EOW की जांच के दौरान यह सामने आया कि अब तक इस प्रोजेक्ट में केवल 47% ही काम हुआ है पर भुगतान 213 प्रतिशत कर दिया गया है।

व्यापमं घोटाले से है मालवीय का सीधा कनेक्शन

व्यापमं घोटाले का खुलासा 2013 में तब हुआ था, जब इंदौर पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों से पूछताछ के बाद घोटाले में शामिल एक संगठित गिरोह के सरगना जगदीश सागर की गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटालों में शुमार व्यापमं घोटाले में एलएन मालवीय पर सीबीआई के वकील सतीश दिनकर की ओर से आरोप हैं कि उन्होंने पीएमटी 2013 परीक्षा घोटाले के मामले में व्यापमं के अधिकारियों से सांठगांठ कर स्कोरर बैठाकर परीक्षार्थी को पास कराया। इस आरोप में मालवीय को 26 मार्च 2015 को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही पुलिस स्टेशन एसटीएफ भोपाल में मालवीय के खिलाफ अपराध क्रमांक 539/2013 दर्ज है।

हर सप्ताह थाने में हाजिरी देने पर मिली थी जमानत

व्यापमं घोटाले में एलएन मालवीय की भूमिका PMT के लाभार्थियों के लिए बिचौलिए की रही है। जमानत अर्जी पर सुनवाई को दौरान कोर्ट ने बेहद सख्ती बरतते हुए न सिर्फ एक लाख रुपए का व्यक्तिगत बांड भरवाया, बल्कि पर सप्ताह पास के थाने में जाकर हाजिरी देने के आदेश भी दिए थे। इतना ही नहीं कोर्ट ने मालवीय का पासपोर्ट भी जब्त करने के आदेश दिए थे।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

लक्ष्मी नारायण मालवीय विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सरकार 12 मई 2015 मिसलेनियस अपराधिक प्रकरण क्रमांक 5578/2015 तारीख 12.05. 2015 श्री मनीष दत्त वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री हितेंद्र गुल्हानी आवेदक के अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र कुमार कौरव अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री प्रकाश गुप्ता पैनल लॉयर अनावेदक राज्य की तरफ से पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सुनवाई की।

यह जमानत आवेदन आवेदक द्वारा दायर किया गया है, जिसे 26.3.2015 को गिरफ्तार किया गया था और वह पुलिस स्टेशन एसटीएफ भोपाल में दर्ज अपराध संख्या 539/2013 के संबंध में जेल में है - जिसे आमतौर पर व्यापम परीक्षा घोटाला मामलों के रूप में जाना जाता है - जो आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471, 201 और 120-बी; शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27; आबकारी अधिनियम की धारा 34; आयकर अधिनियम की धारा 65; और एम.पी. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम, 1937 की धारा 3(घा) 1, 2/4 के तहत दंडनीय अपराध है।

अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक को बिचौलिए की भूमिका सौंपी गई है। आवेदक ने कथित तौर पर डॉ. शिवम और लाभार्थी सीमा उइके और सरिता उइके के साथ बातचीत की। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सीमा उइके और सरिता उइके दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा, जिस अगले लिंक से आवेदक ने कथित तौर पर बातचीत की है, डॉ. शिवम को अभी तक जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है - संभवतः, उसके द्वारा किए गए खुलासे और कोड की धारा 164 के तहत दिए गए बयान के कारण। इसके अलावा, वर्तमान आवेदक के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र भी दायर किया गया है। चूंकि आवेदक ने लाभार्थियों के लिए बिचौलिए के रूप में काम किया और डॉ. शिवम से बातचीत की, जो अभी पुलिस हिरासत में नहीं है और आवेदक कथित रूप से अतीत में किसी अन्य पूर्ववृत्त के बिना केवल एक अपराध में शामिल है, साथ ही इस तथ्य के साथ कि आवेदक वकील के माध्यम से जांच अधिकारी के समक्ष आगे की जांच के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होने का वचन देता है, जिसमें उसके खिलाफ भी शामिल है और आपराधिक मुकदमे के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष समय पर उपस्थित होने का भी वचन देता है, न्याय के हित में, मामले का समग्र दृष्टिकोण लेते हुए, हम आवेदक को निम्नलिखित सख्त शर्तों पर जमानत देना उचित समझते हैं:-

(1) आवेदक पुलिस स्टेशन एसटीएफ भोपाल में अपराध क्रमांक 539/2013 के संबंध में ट्रायल के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के लिए ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की राशि में व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो विलायक स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा;

(2) आवेदक सीआरपीसी की धारा 437 (3) के तहत उल्लिखित शर्तों का भी पालन करेगा। (3) इसके अतिरिक्त, आवेदक निकटतम पुलिस स्टेशन, जहां वह निवास करता है, साकेत नगर, जिला भोपाल, (म.प्र.) में सप्ताह में एक बार प्रत्येक रविवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच रिपोर्ट करेगा, जब तक कि उस दिन भोपाल में जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक न हो; और (4) आवेदक अपना पासपोर्ट, यदि उपलब्ध हो, जांच एजेंसी के पास जमा करेगा, अन्यथा इस न्यायालय में हलफनामा दायर करेगा कि आवेदक के पास किसी भी देश का पासपोर्ट नहीं है। यह अनुपालन जमानत पर रिहाई के लिए पूर्व शर्त होगी। जमानत आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है। नियमानुसार प्रमाणित प्रति।

एएम खानविलकर
मुख्य न्यायाधीश
के के त्रिवेदी
न्यायाधीश

4 अधिकारियों पर EOW में मामला दर्ज

मध्यप्रदेश के भोपाल के नामी बिल्डर और टीवी 27 के डायरेक्टर एलएन मालवीय के खिलाफ EOW ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के इस मामले में चार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है मध्यप्रदेश के भोपाल के नामी बिल्डर और टीवी 27 के डायरेक्टर एलएन मालवीय के खिलाफ EOW ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मालवीय और चार पीडब्ल्यूडी अधिकारी सहित कुल 5 पर FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के राज्य एवं मुख्य जिला मार्गों पर पुल के निर्माण के लिए सुपरविजन कंसलटेंसी जबलपुर का ठेका स्वीकृत हुआ था इस निर्माण एजेंसी के लिए कंसल्टेंट एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड भोपाल को अधिकृत किया गया था। कुल 106 पुलों के निर्माण की निविदाओं की लागत 12.25 करोड़ रुपए थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के NDB डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर सहित अन्य तीन अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए एलएन मालवीय को 26 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान कर दिया और शासन को 13 करोड़ 86 लाख रुपए का चूना लगाया। EOW की जांच के दौरान यह सामने आया कि अब तक इस प्रोजेक्ट में केवल 47% ही ।

अभी भी है विदेश जाने पर रोक

भोपाल के सबसे रईस कारोबारियों में शुमार लक्ष्मीनारायण मालवीय की विदेश यात्रा पर रोक अभी भी बरकरार है। 2023 में मालवीय ने तीसरी बार विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनका जब्त पासपोर्ट वापस लौटाने से मना कर दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने एलएन मालवीय को पासपोर्ट देने से इनकार करते हुए लिखा था कि देश में हुए कई घोटालों के आरोपी विदेश में जाकर वहीं बस जाते हैं। ऐसे आरोपियों को वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इंदौर के साथ पूरे देश में यातायात बिगाड़ने पुलिस निगम पालिकाएं जिम्मेदार

संकेतकों पर रूकना बढ़ाता है प्रदूषण, देश व जनता पर भार

संकेतकों का समय निर्धारित कर न्यूनतम समय में पार कर सकते हैं सभी संकेतक, दुर्घटनाएं व प्रदूषण कम होंगा

वर्तमान में अधिकांश जनता वाहन चालक शहरीय क्षेत्रों के सड़कों पर निकलने वाहन चलाने में अत्यधिक दबाव महसूस करता है जो न केवल दुर्घटनाओं का कारण बनती है साथ ही प्रदूषण फैलाने और ज्यादा पेट्रोल डीजल गैस खर्च होने के कारण प्रदूषण बढ़ाने के साथ-साथ जनता की जेब पर आर्थिक भार बढ़ाने के साथ देश को भी पेट्रोल डीजल गैस के आयात में आर्थिक भार उठाना पड़ता है। जिसके लिए मूल रूप से ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से लेकर सहायक उप एवं नगर निरीक्षक एसपी के साथ नगर निगम के सिटी इंजीनियर प्लानर आदि जिम्मेदार हैं।

जो जानबूझकर मोटी कमाई करने बार-बार बिना किसी ठोस यातायात प्रबंधन सड़कों की चौड़ाई, तिराहों चौराहों के निर्माण की नीति के कारणजनता के साथपुलिस प्रशासन और नगर निगम को भी परेशानियां उठानी पड़ती है। बेशक यातायात पुलिस में कोई सिविल इंजीनियर प्लानर विशेषज्ञ नहीं होते। साधारण कला विज्ञान वाणिज्य की डिग्री प्राप्त कर भर्ती की परीक्षाएं पास कर पुलिस विभाग में भर्ती हो जाते हैं। जो की खाकी वर्दी धारण की होती है तो सिपाही से लेकर एसपी आई जी तक शाम होते-होते छल कपट डराने धमकाने फर्जी कैस बनाने बचाने के षडयंत्रों से जेब भरी व भारी हो मुफ्त की सुरा सुंदरी भोगने का अवसर प्राप्त हो जाए तब ही पुलिस की वर्दी धारण कर नौकरी करने का औचित्य सिद्ध होता है।

बेशक शहरी क्षेत्र की सड़कें चौराहे तिराहे पंचराहो षठराहों का निर्माण प्रबंधन आदि का कार्य नगर निगम पालिकाओं के हाथ में होता है जो वहां बैठे उप यंत्री सहायक कार्यपालन व अधीक्षण इंजीनियर से लेकर वहां के पार्षद महापौर की कमीशन और मर्जी के अनुसार बार-बार बनाये, तोड़े व फिर बनाए जाते हैं। ताकि हर नए पार्षद अधिकारी कर्मचारी महाप और निगम आयुक्त सबको मोटा कमीशन सतत मिलता रहे ठेकेदारों का पेट भरता रहे बेशक जनता परेशान हो, दुर्घटनाएं हों, ताकि बार-बार सड़कें चौराहे तिराहे आदि बनाई जाति रहे और उनकी कमाई सटक बनी रहे ट्रैफिक पुलिस के हाथ में जो तिराहों, चौराहों पंचराहो षठराहों आदि पर लगे यातायात सिग्नल्स का प्रबंधन पुलिस करती है और जानबूझकर 20 से 30 सेकंड के समय की अपेक्षा 40 से 50 60 सेकंड का समय रख देती है जिससे अन्य मार्गों पर खड़े हुए लोग अपना वाहन चालू रखकर प्रदूषण फैलाने और पेट्रोल डीजल गैस के ज्यादा खपत से आर्थिक परेशानियों को सामना करते हैं। जिसका सीधा बाहर सरकार की आर्थिक प्रबंधन पेट्रोल डीजल गैस आयात करने से विदेशी मुद्रा खर्च करने पर पड़ता है।

सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक साईं काल में 5:30 बजे से लेकर 8:00 तक के समय में अधिकतम 30 सेकंड के सिग्नल्स होने चाहिए। बात के पहले और पक्ष के समय में मात्र 15 से 20 सेकंड के लिए समय निर्धारित किए जानी चाहिए।

ताकि अन्य तिराहे चौराहों पर खड़े हुए लोग ज्यादा से ज्यादा देर से दो ढाई मिनट तक न खड़े रहे दूसरी बात जब एक लाइन में ट्रैफिक सिग्नल्स बने हुए हो तो लंबाई के हिसाब से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां चलने पर अगले चौराहे तक की दूरी नाप कर उसके सिग्नल्स को समायोजित कर दिए जाए तो एक बार एक सड़क से 10 चौराहे पर करने में भी बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है जिसमें कुछ नहीं केवल टाइमर को सेट करने में थोड़ी सी बुद्धि उपयोग करनी है। तिराहे पर एक तरफ की दांई बांई सड़क को जो सीधी जा रही है सतत चलने देने के लिए खुला छोड़ रखना चाहिए। ताकि न मुड़ने वाले लोगों की यात्रा बाधित व समय बर्बाद ना हो।

दूसरी तरफ व्यस्ततम मार्गों पर कार्य व अन्य वाहन सड़कों पर खड़े ना हो इस बात का ख्याल रखने के लिए पुलिस कभी निगरानी और अपने बाल का प्रयोग नहीं करती और उसकी आड़ में कहा जाता है कि स्टाफ कम है तो भाई स्टाफ भर्ती कर लो कब तक भर्ती नहीं करोगे।

जब रुस्तम मार्ग के दोनों तरफ कारों वाली गाड़ियां खड़ी होगी और मार्ग बातचीत होगा तो निकालने वालों को परेशानी होगी और भीड़ बढ़ेगी दुर्घटनाएं बढ़ेगी प्रदूषण फैलेगा। और इन सबके लिए जिम्मेदार होगा तो वाहन चालक के अतिरिक्त निगम व पुलिस का भ्रष्ट डकैत कर्मचारी व अधिकारी निरीक्षक। दूसरी तरफ प्रशासन पुलिस निगम पालिकाएं सबसे पहले लोगों की परेशानियों को दूर करने की मानसिकता को विकसित करें अगर मानसिकता विकसित होगी तो कार्य संपन्न होंगे और कार्य संपन्न होंगे तो जनता को राहत मिलेगी इसका ख्याल रखना अति आवश्यक है यदि अपने भ्रष्टाचार मस्तिष्क में लूट डकैती और वसूली ही लिखी है तो जनता तो परेशान होगी ही वाहनों के खड़े होने पर प्रदूषण भी खा लेगा दुर्घटनाएं भी बढ़ेगी मारपीट लड़ाई झगड़ा और अपराध भी बढ़ेंगे स्वामी के उस पुलिस की कमाई होगी पर इस कमाई का खामियाजा कर्मचारियों अधिकारियों निरीक्षकों को मस्तिष्क पर तनाव पालकर परिवार की बर्बादी करके उठाना पड़ेगा। इसको समझें।

और सबसे पहले कर्मचारी अधिकारी निरीक्षकों को कार्य को सरल और आसान तरीके से करने के साथ जनता की परेशानियां को दूर करने की मानसिकता को विकसित करना होगा ताकि जनता भी शांत रहे और बच्चे शांत रहें और सुचारू रूप से सब का जीवन चलता रहे इसकी मानसिकता को विकसित हर स्तर पर करना पड़ेगा यह सब की आवश्यकता है यथार्थ में परेशानियां समस्याएं इसलिए परेशानियां और समस्याएं हैं क्योंकि हमने उन्हें अपने मानस में बसा कर अपनी कमाई की षड्यंत्र किए हुए हैं वरना हर परेशानी व समस्या अपने साथ निदान लेकर ही आई है वह शक्ति की हमको उसे हल करने की इच्छा व मानसिकता हो ताकि जनता को राहत मिल सके।

इंदौर के साथ देश के अधिकांश चौराहों पर जानबूझकर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक लाइट के टाइमर बंद करके रखती है और इसका परिणाम वाहन चालकों को गाड़ियां चालू रखनी पड़ती है और जो प्रदूषण बढ़ता है स्वयं इंदौर पुलिस मानती है की लगभग 80 चौराहों की बनावट खराब है। तो फिर आमजन के चालान क्यों और कब उनको सुधारा जाएगा ताकि जनजीवन सड़कों पर सामान्य हो सके

सुनाक की हार, प्रवासियों को रोकने का प्रभाव

पेज 1 का शेष

जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में तेज़ी आयी और स्वतंत्र भारत की रूपरेखा पर विचार भी होने लगा। विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। वह एक रूढ़िवादी राजनेता थे जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रबल विरोधी थे। जुलाई 1945 में, ब्रिटेन के नए चुने गए लेबर पार्टी के प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति दे स्वतंत्रता की मुहर लगाई थी। वे 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 1951 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

वर्तमान लेबर पार्टी के नेता कीर स्ट्रामर ने भारत पर अपना रुख नरम कर लिया और कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए अपना आह्वान छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर भारत विरोधी चरमपंथी विचारों पर लगाम लगा दिया। कीर स्ट्रामर ने पार्टी के घोषणापत्र में भारत के साथ 'नई रणनीतिक साझेदारी' को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता शामिल की। यह प्रतिबद्धता प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके इरादे को उजागर करती है, जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ संबंधों को बढ़ाना है। इसके आलावा कीर स्ट्रामर के नेतृत्व में लेबर पार्टी अपने 10 वादों, अपनी वामपंथी विचारधारा और श्रमिक वर्ग की परंपराओं से दूर चली गई है। वर्तमान इजराइल-हमास संघर्ष पर, उनकी पार्टी ने इजराइल का पक्ष लिया, जो फिर से एक उनकी नीतियों से हट कर था।

वीजा के मुद्दे पर विशेष रूप से सेवा कर्मचारियों और भारतीय छात्रों के लिए अस्थायी कार्य वीजा एक प्रमुख मुद्दा रहा है, यह भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते से भी जुड़ा है। भारत को ब्रिटेन में उनकी अत्यधिक विकसित सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश से लाभ होने वाला था, जिस पर अब लेबर पार्टी कड़ी रूख से बातचीत करेगी। भारत ने कार्बन टैक्स में ढील देने की मांग की है, जिसे अगर लागू किया जाता है तो इऊँ के लाभों का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इनके अलावा ब्रिटेन में रह रहे भारतीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण, रक्षा में सहयोगिता और संयुक्त राष्ट्र में सिक्योरिटी कॉउन्सिल में भारत का दाखिला जैसे मुद्दों पर भी आपसी सम्बन्ध और वार्ता शामिल रहेगा। अब जब ऋषि सुनक का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, तो भारत सरकार को चाहिए ऋषि सुनक का यथोचित सम्मान दे कर विदेशों में रह रहे अन्य लोगो को भी इस तरह आकाशीय पद को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस चुनाव में, इन भारतीय मूल के मतदाताओं ने विडंबनापूर्ण तरीके से अपने ही मूल के ऋषि सुनक से पूछा था कि उन्होंने उनके लिए क्या किया। स्ट्रामर में करिश्मे की कमी है और पार्टी के नेतृत्व करने के रूप में उन्हें जीत तो मिली है पर अभी भी उनके व्यक्तिगत रूप में एक सशक्त नेता की छवि को जनता की स्वीकृति कम मिली है, इसलिए उन पर लगातार दबाव बना रहने के साथ और नेतृत्व परिवर्तन की भी संभावना है। ऋषि सुनक सरकार ने ग्रेजुएट रूट वर्क वीज़ा की निरंतरता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक प्रवासन सलाहकार समिति (एमएसी) का गठन किया था, जिसे पोस्ट-स्टडी वर्क वीज़ा के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के स्नातकों को दो साल के लिए कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार ने जनवरी 2024 से छात्रों के आश्रितों के लिए वीज़ा देना बंद कर दिया है। ब्रिटेन के मतदाताओं ने ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बन गए हैं, ऐसे में भारत के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए खुश होने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि आप्रवासी विरोधी नीतियों को लागू करने वाली सरकार 14 साल के शासन के बाद डाउनिंग स्ट्रीट को अलविदा कह रही है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली टोरी पार्टी ने आप्रवासियों पर नकेल कसने के लिए कई नीतियां लागू की थीं। इनमें छात्रों के लिए आश्रितों के वीज़ा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, अवैध आप्रवासियों को रवांडा के लिए उड़ान से भेजना , तथा देखभाल कर्मचारियों के आश्रितों के लिए वीज़ा बंद करना शामिल है। ये नीतियां कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा ' नौकाओं को रोकने ' के प्रयास के तहत शुरू की गई थीं, जिसका स्पष्ट संदर्भ इंग्लिश चैनल पार करने के बाद बिना वीजा के छोटी नौकाओं में ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की प्रथा पर अंकुश लगाना था।

साप्ताहिक समय माया

मानसून में ऐसे रखेंगे सेहत का ख्याल, तो नहीं पड़ेंगे बार-बार बीमार!

मानसून भारत के कई राज्यों में दस्तक दे चुका है। यह तपती गर्मी से राहत देने के लिहाज से तो काफी बढ़िया है लेकिन इस मौसम में सेहत को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही आपको कई गंभीर बीमारियों (श्दहेददह अ्मीं) का शिकार बना सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी ही कुछ बीमारियां और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। मार्च से लेकर जून तक पड़ने वाली भीषण गर्मी के बाद जुलाई का महीना मानसून के स्वागत का होता है। साल का यह सातवां महीना तपती गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर देता है, लेकिन बरसात के इन दिनों में सेहत को लेकर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। इस मौसम में अगर आप भी बार-बार बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि वातावरण में नमी बढ़ने के कारण पैदा होने वाले बैक्टीरिया और वायरस के खतरे से आप कैसे अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं।

मानसून में क्यों बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा?

बरसात के मौसम में सांस के रास्ते से बैक्टीरिया और वायरस काफी तेजी से फैलने लगते हैं। मौसम में नमी के कारण इन दिनों बैक्टीरिया के पनपने का जोखिम सबसे ज्यादा रहता है। इन दिनों शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे में, खानपान में बरती जाने वाली लापरवाही का सीधा और तेज असर सेहत पर देखने को मिलता है। खांसी-जुकाम, उल्टी और सर्दी-बुखार की परेशानी से बचने के लिए इस मौसम में सेहत का काफी ख्याल रखना पड़ता है। मानसून के मौसम में मच्छर भी तेजी से फैलते हैं, क्योंकि इन दिनों बरसात के कारण इन्हें पनपने का माहौल मिल जाता है, जो कि आपकी जान के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरता है। आइए जानते हैं इस मौसम में फैलने वाली बीमारियों के बारे में।

इन बीमारियों का बढ़ जाता है जोखिम

बारिश के मौसम में डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, वायरल फ्लू, इन्फेक्शन, एलर्जी, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई का जोखिम काफी ज्यादा रहता है। बता दें, इनमें से ज्यादातर बीमारियां मच्छरों के पनपने से ही पैदा होती हैं।

कैसे रखें इस मौसम में सेहत का ख्याल?

मानसून यानी बरसात के मौसम में सेहत का ख्याल रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप सबसे पहले तो पूरी बाजू के कपड़े पहनें, जो कि आपको मच्छरों से फैलने वाली डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाने का काम करेंगे। इसके अलावा इस मौसम में इम्युनिटी को बूस्ट करने के लिहाज से डाइट का खास ख्याल रखने की भी जरूरत होती है। ऐसे में, आप पूरी कोशिश करें कि खानपान में पोषक तत्वों को पूरी जगह मिले। इसके लिए मौसमी फल-सब्जियों के सेवन से लेकर आप डाइट में कुछ सुपरफूड्स को भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही, इस मौसम में डिहाइड्रेशन और डायरिया से बचना भी काफी ज्यादा जरूरी है।

संजीवनी से कम नहीं है बरसात में मिलने वाला ये फल

मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस दौरान सही खानपान की सलाह देते हैं। मानसून के दौरान विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए खान-पान का विशेष ध्यान रखना। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो बारिश में स्वस्थ रहने के लिए आपको मौसमी फलों का सेवन जरूर करना चाहिए।

बारिश के मौसम के साथ ही कुछ फलों का आगमन भी हो जाता है। इन्हीं में से एक है नाशपाती। यह मौसम नाशपाती का मौसम है। विटामिन सी से भरपूर नाशपाती एक ऐसा फल है जो मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।

नाशपाती मानसून के महीनें में शरीर को बीमारियों के खतरे से बचाने में मदद करती है। इसमें विटामिन सी के अलावा पोटेशियम, फोलेट, कॉपर और मैंगनीज पाया जाता है. आइए जानते हैं नाशपाती खाने से क्या फायदे होते हैं।

नाशपाती खाने के फायदे- डायबिटीज को करता है कंट्रोल-

डायबिटीज के मरीजों को हर चीज का सेवन सोच समझकर करना पड़ता है. यहां तक की कुछ फल भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि कुछ फल हैं जो उनके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं, जिनमें से एक है नाशपाती। डायबिटीज के मरीजों के लिए नाशपाती बहुत फायदेमंद मानी जाती है। नाशपाती में एंथोसायनिन पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, ऐसे में ये मधुमेह के खतरे को भी कम करते हैं। दरअसल में नाशपाती में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसके कारण यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीज इसे खा सकते हैं।

सूजन कम करता है-

शरीर की सूजन को कम करने के लिए नाशपाती बेहद लाभकारी मानी जाती है। नाशपाती में विटामिन सी और विटामिन के होता है जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर किसी चोट के कारण शरीर में सूजन की समस्या है तो इससे फायदा होगा. ऐसे लोगों को अपने आहार में नाशपाती को शामिल करना चाहिए. नाशपाती में फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है-

नाशपाती में फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पेट और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो नाशपाती जरूर खाएं। नाशपाती में घुलनशील फाइबर होता है जो आपकी आंतों के लिए फायदेमंद होता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करके आंत के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है।

दिल के लिए फायदेमंद-

नाशपाती में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो दिल को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। नाशपाती में प्रोसायनिडिन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इससे हृदय संबंधी समस्याएं कम होती हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। छिलके सहित खाए जाने वाले नाशपाती के छिलके में क्वेरसेटिन होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है।

वजन घटाने में मदद-

अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो आप अपनी वेट लॉस डाइट में नाशपाती को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इससे आपको भूख कम लगती है। नाशपाती में कैलोरी भी बहुत कम होती है। इसे जी भरकर खाने से भी मोटापा कम हो सकता है।

मानसून में सारी बीमारियों की जड़ ये वजह

मानसून में बड़े और बच्चे सभी की इम्युनिटी कमजोर हो जाती है। खान-पान में जरा सी लापरवाही बरतने पर आप बीमार पड़ सकते हैं। बारिश में कई तरह के इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर से इस मौसम में खराब पानी, मच्छर और हवा से सारी बीमारियां पैदा होती हैं।

यानि एयर बोर्न, मॉस्किटो बोर्न, वाटर बोर्न डिजीज पैदा होती हैं। इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बढ़ती है। वहीं दूषित पानी और खाने से डायरिया, पीलिया और टाइफाइड होने का खतरा रहता है। वहीं सांस से जुड़ी बीमारी अस्थमा और सर्दी जुकाम भी परेशान करते हैं। इसलिए इन

बीमारियों से बचना सबसे जरूरी है।

मानसून में सारी बीमारियों के पीछे हैं ये कारण

मच्छर से फैलने वाली बीमारी-

मानसून में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगता है। गंदगी और जगह-जगह पानी भरने से मच्छर पनपने लगते हैं जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। मच्छरों के काटने से जीका वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। इसलिए बारिश में मच्छरों से खास बचाव करें।

खराब पानी से होने वाली बीमारी-

मानसून में दूषित पानी पीने और खराब खाना खाने से भी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। जिसमें डायरिया सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। बारिश में एंटेरिक फीवर, हैजा, वायरल हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी बीमारियां गंदे पानी के कारण होती हैं। ये बीमारियां भारत में हर साल हजारों लोगों की मौत का कारण बनती हैं। इसके लिए जरूरी है कि साफ और उबला हुआ पानी पिएं और ताजा घर का बना खाना खाएं।

दूषित हवा से होने वाली बीमारी-

मानसून के दिनों में तापमान अचानक कम ज्यादा होता है। मौसम में ज्यादा नमी के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रभावित होता है। इस मौसम में सांस के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। अस्थमा के मरीज, एलर्जी से परेशान लोगों की मुश्किल बढ़ सकती हैं। वहीं सर्दी जुकाम की समस्या ज्यादा हो सकती है। इम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीजें और ताजा खाना शामिल करें।

एक वर्ष में होती हैं चार नवरात्रि

मां भगवती की आराधना का पर्व है नवरात्रि। मां भगवती के नौ रूपों की भक्ति करने से हर मनोकामना पूरी होती है। 'नवरात्रि' शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर महानवमी तक किए जाने वाले पूजन, जाप, उपवास का प्रतीक हैं। नौ शक्तियों से मिलन को नवरात्रि कहते हैं। देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में चार माह नवरात्र के लिए निश्चित है। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि होती है। चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि होती है। इसके बाद अश्विन मास में तीसरी और प्रमुख नवरात्रि होती है। इसी प्रकार वर्ष के ग्यारहवें महीने

अर्थात माघ में चौथी नवरात्रि का महोत्सव मनाने का उल्लेख एवं विधान देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें आश्विन मास की नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत्र मास की होती है। इन दोनों नवरात्रियों को शारदीय व वासंती नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्रि गुप्त रहती है। इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती,इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि भी कहते है। गुप्त व चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर होता है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा-साधना करता है तो मां उसके जीवन को सफल कर देती हैं। नवरात्रि के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान-पान, रहन-सहन और देव स्मरण में अपनाए गए नियम तन व मन को शक्ति और ऊर्जा देते है। जिससे इंसान निरोगी होकर दीर्घ आयु और सुख प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में प्रमुख रूप से भगवान शंकर व देवी शक्ति की आराधना की जाती है।

धर्मस्थल

दक्षिणेश्वर काली मंदिर

कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर बीबीडी बाग से १० किलोमीटर दूर है। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1847 में प्रारम्भ हुआ था। ज्ञान बाजार की महारानी रासमणि ने स्वप्न देखा था, जिसके अनुसार मां काली ने उन्हें निर्देश दिया कि मंदिर का निर्माण किया जाए। इस भव्य मंदिर में मां की मूर्ति श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। सन 1855 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यह मंदिर २५ एकड़ क्षेत्र में स्थित है।

दक्षिणेश्वर मंदिर देवी मां काली के लिए ही बनाया गया है। दक्षिणेश्वर मां काली का मुख्य मंदिर है। भीतरी भाग में चांदी से बनाए गए कमल के फूल जिसकी हजार पंखुड़ियां है, पर मां काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई हैं। काली मां का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है और यह 46 फुट चौड़ा तथा 100 फुट ऊंचा है। विशेषण आकर्षण यह है कि इस मंदिर के पास पवित्र गंगा नदी जो कि बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, बहती है। इस मंदिर में 12 गुंबद हैं। यह मंदिर हरे-भरे, मैदान पर स्थित है। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के बारह मंदिर स्थापित किए गए हैं।

प्रसिद्ध विचारक रामकृष्ण परमहंस ने मां काली के मंदिर में देवी को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त की थी तथा उन्होंने इसी स्थल पर बैठ कर धर्म-एकता के लिए प्रवचन दिए थे। रामकृष्ण इस मंदिर के पुजारी थे तथा मंदिर में ही रहते थे। उनके कक्ष के द्वार हमेशा दर्शनार्थियों के लिए खुला रहते थे।

मां काली का मंदिर विशाल इमारत के रूप में चबूतरे पर स्थित है। इसमें सीढ़ियों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण की ओर स्थित यह मंदिर तीन मंजिला है। ऊपर की दो मंजिलों पर नौ गुंबद समान रूप से फैले हुए हैं। गुंबदों की छत पर सुन्दर आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के भीतरी स्थल पर दक्षिणा मां काली, भगवान शिव पर खड़ी हुई हैं। देवी की प्रतिमा जिस स्थान पर रखी गई है उसी पवित्र स्थल के आसपास भक्त बैठे रहते हैं तथा आराधना करते हैं।

इस मंदिर के सामने नट मंदिर स्थित है। मुख्य मंदिर के पास अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भक्तजन की भीड़ लगी रहती है। दक्षिणेश्वर मां काली का मंदिर विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में मां काली का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। दक्षिणेश्वर मां काली का मंदिर विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में मां काली का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। मंदिर की उत्तर दिशा में राधाकृष्ण का दालान स्थित है। पश्चिम दिशा की ओर बारह शिव मंदिर बंगाल के अटचाला रूप में है। चांदनी स्नान घाट के चारों तरफ शिव के मंदिर हैं। छः मंदिर घाट के दोनों ओर स्थित है। मंदिर की तीनों दिशाएं उत्तर, पूर्व, पश्चिम में अतिथि कक्ष तथा ऑफिस स्थित हैं। पर्यटक साल में हर समय यहां पर भ्रमण करने आ सकते हैं।

वायुमार्ग- कोलकाता वायुसेवा के माध्यम से बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है।

रेलमार्ग- कोलकाता में मुख्य तौर पर दो स्टेशन हैं- शियालदाह तथा हावड़ा। कोलकाता रेलमार्ग के माध्यम से भी सभी प्रमुख बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है।

सड़क मार्ग- हर प्रमुख शहरों से कोलकाता जाया जा सकता है। स्थानीय साधन लकाता में मीटर से टैक्सी चलती है। बस, मेट्रो रेल, साइकल रिक्शा तथा ऑटो रिक्शा चलते है।

मंदिर के समय- मंदिर के खुलने का समयप्रात:काल 5.30 से 10.30 तक। संध्याकाल 4.30 से 7.30 तक।

क्षीर सागर जहां शेषनाग पर रहते हैं भगवान विष्णु

शास्त्रों पुराणों में भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत बताया गया है और विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर बताया गया है। वह क्षीर सागर कहां है यह आप जरूर जानना चाहते होंगे। आपकी इस चाहत का ध्यान रखते हुए आइये ले चलते है आपको क्षीर सागर के दर्शन करवाने।

दर्शन कीजिए क्षीर सागर का- क्षीर सागर के दर्शन के लिए चल पड़े हैं तो क्यों न मार्ग में क्षीर सागर के कुछ चमत्कारी गुणों को जान लें। पुराणों की मानें तो क्षीर सागर की एक परिक्रमा करने वाला व्यक्ति एक जन्म में किए पाप और कर्म बंध से मुक्त हो जाता है।

जो व्यक्ति इसकी दस परिक्रमा कर लेता है उसे दस हजार जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्षीर सागर की 108 परिक्रमा करने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाता है।

जो इस झील के मीठे जल का पान करता है वह शिव के बनाए स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। यही कुबेर ने भगवान

शिव की तपस्या करके शिव का सखा और ईश्वरीय खजाने का खजांची होने का वरदान प्राप्त किया था।

चलिए डुबकी लगाएं क्षीर सागर में- यह पवित्र क्षीर सागर भगवान शिव की जटा से निकलने वाली गंगा के वेग निर्मित हुआ माना जाता है। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर क्षीर सागर है जिसे मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है।

ऐसी मान्यता है कि इस झील में एक बार डुबकी लगाने मात्र से रुद्रलोक में स्थान प्राप्त होता है।

प्रेरक प्रसंग

सहनशीलता

एक दरोगा संत दादू की ईश्वर भक्ति और सिद्धि से बहुत प्रभावित था। उन्हें गुरु मानने की इच्छा से वह उनकी खोज में निकल पड़ा। लगभग आधा जंगल पार करने के बाद दरोगा को केवल धोती पहने एक साधारण-सा व्यक्ति दिखाई दिया। वह उसके पास जाकर बोला, "क्यों बे तुझे मालूम है कि संत दादू का आश्रम कहां है?"वह व्यक्ति दरोगा की बात अनसुनी करके अपना काम करता रहा। भला दरोगा को यह सब कैसे सहन होता? लोग तो उसके नाम से ही थर-थर कांपते थे उसने आव देखा न ताव लगा गरीब की धुनाई करने। इस पर भी जब वह व्यक्ति मौन धारण किए अपना काम करता ही रहा तो दरोगा ने आग बबूला होते हुए एक ठोकर मारी और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर दरोगा को एक और आदमी मिला। दरोगा ने उससे भी रोक कर पूछा, "क्या तुम्हें मालूम है संत दादू कहां रहते है?""उन्हें भला कौन नहीं जानता, वे तो उधर ही रहते हैं जिधर से आप आ रहे हैं। यहां से थोड़ी ही दूर पर उनका आश्रम है। मैं भी उनके दर्शन के लिए ही जा रहा था। आप मेरे साथ ही चलिए।" वह व्यक्ति बोला। दरोगा मन ही मन प्रसन्न होते हुए साथ चल दिया। राहगीर जिस व्यक्ति के पास दरोगा को ले गया उसे देखकर वह लज्जित हो उठा क्यों संत दादू यही व्यक्ति थे जिसको दरोगा ने मामूली आदमी समझ कर अपमानित किया था। वह दादू के चरणों में गिर कर क्षमा मांगने लगा। बोला, "महात्मा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया।"दरोगा की बात सुनकर संत दादू हंसते हुए बोले, "भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात? कोई मिट्टी का एक घड़ा भी खरीदता है तो ठोक बजा कर देख लेता है। फिर तुम तो मुझे गुरु बनाने आए थे।"संत दादू की सहिष्णुता के आगे दरोगा नतमस्तक हो गया।

साप्ताहिक समय माया

मध्य प्रदेश बजट 24-25 फर्जी समंकों की बाजीगरी

पेज 1 का शेष

पिछले 15 सालों से स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस जो ठेकों पर लगाई जाती है उनका रखरखाव उचित उपयोग नहीं किया जा सक रहा है। एयर एंबुलेंस का जो नया शॉप पाल गया है भविष्य बताएगा कितना घातक होगा।

कृषि मंत्रालय में जितना धन आवंटित किया गया है क्या वह किसानों तक पहुंच रहा है किसानों का पूरा लाभ मिल रहा है अधिकांश योजना कागजों पर पूरी की जा रही है

पिछले 10 सालों में किसानों को मुफ्त बीज खाद मिलने की बात तो बहुत दूर, उल्टे ही खाद बीज कितना उसको आदि की कीमत दोगुनी से चार गुनी हो गई परंतु फसल आने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तत्काल में सभी सौ से ज्यादा विभागों मैं आवश्यकता का कुल 20 से 30% कर्मचारी और अधिकारी रह गए हैं जिनकी तत्काल भर्ती की जानी चाहिए थी वर्तमान में 5 लाख से ज्यादा पद विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए हैं जिन्हें तत्काल भरा जाना चाहिए क्योंकि सन 2000 की तुलना में 24 साल बाद काम हर विभाग में दोगुना सहित 5 गुना हो गया और स्टाफ एक तिहाई रह गया जिसकी भारती की जानी चाहिए थी तत्काल संविदा ठेका कर्मियों को हर विभाग में नियमित करके उनसे नियमित काम दिया जाना चाहिए जिसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि रोज सरकार एक अरब से ज्यादा के विज्ञापन टीवी चैनल समाचार पत्रों में एक-एक दो-तीन पेज की देती है पूरे देश भर में जिसका खर्च बजट 24-25 में नहीं दिखाया गया तो आखरी है धन कहां से आ रहा है और जो 86000 करोड रुपए कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन पर दिखाया गया है इसके दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए जबकि चार लाख से ज्यादा कर्मचारी ठेके पर और संविदा में काम कर रहे हैं तो इतना बड़ा वेतन का बजट कहां जा रहा है यह सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 25 बिंदुओं में हर विभाग और मंत्रालय की साइट पर अपलोड किया जाना चाहिए आखिर 19 साल गुजर जाने के बाद में भी सरकार और उसके सभी मंत्रालय सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 25 बिंदुओं की जानकारी अपलोड क्यों नहीं करती मात्र भ्रष्टाचार लूट डकैती छुपाने के लिए, बिशक सरकार सन 2010 से एक घोषणा करती आ रही है कि उसका सारा काम कंप्यूटर पर होता है और सभी विभाग पेपरलेस हो गए हैं जो पूरा फर्जी है।

सभी विभागों में जहां-जहां सूचना के अधिकार पत्र दिए जाते हैं सबसे विभाग की साइट का यूआरएल या सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2ज के चौथे बिंदु के अंतर्गत जब सीडी देने का कानून है, तो सीडी मांगने पर क्यों नहीं दी जाती।

बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है:-

• कुल विनियोग की राशि रु. 3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।

• बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य रु. 1,700 करोड़ रहने का अनुमान

• अनुमानित राजस्व प्राप्तियां रु. 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रु. 1,02,097 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा रु. 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व रु. 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ' 44,891 करोड़ शामिल

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित

• अनुसूचित जनजाति सब-स्कीम हेतु रु. 40,804 करोड़ 23.4%

• अनुसूचित जाति सब-स्कीम हेतु रु. 27,900 करोड़ 16%

• वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित

• वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित

• बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान

• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु रु.18984 करोड़ का प्रावधान

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु रु.15509 करोड़ का प्रावधान

• माध्यमिक शालायें हेतु रु. 9258 करोड़ का प्रावधान

• अटल कृषि ज्योयति योजना हेतु रु. 6290 करोड़ का प्रावधान

• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु '5965 करोड़ का प्रावधान

• समग्र शिक्षा अभियान हेतु रु. 5100 करोड़ का प्रावधान

• अंशदायी पेंशन योजना हेतु रु. 5000 करोड़ का प्रावधान

• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु रु.4775 करोड़ का प्रावधान

• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु रु.4567 करोड़ का प्रावधान

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एन यू एच एम/एन आर एच एम हेतु रु.4500 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रु.4000 करोड़ का प्रावधान

• प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण चूंगी क्षतिपूर्ति हेतु रु.3600 करोड़ का प्रावधान

• अटल गृह ज्योति योजना हेतु रु.3500 करोड़ का प्रावधान

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु रु.3500 करोड़ का प्रावधान

• आंगनवाड़ी सेवाऐं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 हेतु रु.3469 करोड़ का प्रावधान

• बांध तथा संलग्र कार्य हेतु रु.2860 करोड़ का प्रावधान

• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु रु.2452 करोड़ का प्रावधान

• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु रु.2400 करोड़ का प्रावधान

• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु रु.2390 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु रु.2001 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रु.1788 करोड़ का प्रावधान

• जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु रु.1680 करोड़ का प्रावधान

• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु रु.1500 करोड़ का प्रावधान

• जिला माइनिंग फण्ड हेतु रु.1300 करोड़ का प्रावधान

• लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रु.1231 करोड़ का प्रावधान

• आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु रु.1193 करोड़ का प्रावधान

• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु रु.1167 करोड़ का प्रावधान

• मेट्रो रेल हेतु रु.1160 करोड़ का प्रावधान

• केन्द्रीय सड़क निधि हेतु रु.1150 करोड़ का प्रावधान

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु रु.1144 करोड़ का प्रावधान

• हाउसिंग फॉर ऑल हेतु रु.1020 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री जनमन योजना आवास हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान

• समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान

• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान

• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान

कृषि क्षेत्र

• उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

• पौध शाला उद्यान हेतु रु.151 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु रु.124 करोड़ का प्रावधान

• संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु रु.115 करोड़ का प्रावधान

• किसान कल्याण तथा कृषि विकास

• अटल कृषि ज्योतति योजना हेतु रु.5510 करोड़ का प्रावधान

• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु रु.4900 करोड़ का प्रावधान

• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु रु.2475 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु रु.2001 करोड़ का प्रावधान

• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान

• अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला हेतु रु.521 करोड़ का प्रावधान

• फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु रु.396 करोड़ का प्रावधान

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु रु.266 करोड़ का प्रावधान

• सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट हेतु रु.235 करोड़ का प्रावधान

• ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान एस.एम.ए.एम. हेतु रु.208 करोड़ का प्रावधान

• खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

• समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान

• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रु.550 करोड़ का प्रावधान

• रसोई गैस सहायता योजना उज्जवला हेतु रु.320 करोड़ का प्रावधान

• रसोई गैस सहायता योजना गैर उज्जवला हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन एवं डेयरी

• गहन पशु विकास परियोजना हेतु रु.895 करोड़ का प्रावधान

• गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु रु.252 करोड़ का प्रावधान

• मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु रु.196 करोड़ का प्रावधान

• मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हेतु रु.150 करोड़ का प्रावधान

• गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान

• मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु रु.102 करोड़ का प्रावधान

सहकारिता

• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान

• सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु रु.600 करोड़ का प्रावधान

• प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान हेतु रु.149 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य क्षेत्र

आयुष

• आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु रु.405 करोड़ का प्रावधान

• आयुष महाविद्यालय हेतु रु.115 करोड़ का प्रावधान

• राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु रु.102 करोड़ का प्रावधान

चिकित्सा शिक्षा

• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु रु.2452 करोड़ का प्रावधान

• रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु रु.631 करोड़ का प्रावधान

• नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण राज्य सहायित हेतु रु.400 करोड़ का प्रावधान

• नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु रु.400 करोड़ का प्रावधान

• चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु रु.201 करोड़ का प्रावधान

• पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना राज्य सहायित हेतु रु.120 करोड़ का प्रावधान

• एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु रु.115 करोड़ का प्रावधान

• चिकित्सा शिक्षा संचालनालय हेतु रु.101 करोड़ का प्रावधान

• छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान

• भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु रु.145 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल विकास

• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु रु.18984 करोड़ का प्रावधान

• आंगनवाड़ी सेवाऐं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 हेतु रु.3469 करोड़ का प्रावधान

• लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रु.1231 करोड़ का प्रावधान

• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु रु.1167 करोड़ का प्रावधान

• महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु रु.423 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पी एम एम व्ही वाई मिशन शक्ति सामर्थ्य हेतु रु.350 करोड़ का प्रावधान

• पोषण अभियान एनएनएम सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान

• आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु रु.150 करोड़ का प्रावधान

• समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) (मिशन वात्सल्य) हेतु रु.130 करोड़ का प्रावधान

• नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु रु.110 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु रु.4500 करोड़ का प्रावधान

• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु रु.2104 करोड़ का प्रावधान

• जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु रु.1680 करोड़ का प्रावधान

• स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु रु.1413 करोड़ का प्रावधान

• प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु रु.981 करोड़ का प्रावधान

• उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रु.668 करोड़ का प्रावधान

• मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान

• आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु रु.490 करोड़ का प्रावधान

• आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी. हितग्राही) हेतु रु.400 करोड़ का प्रावधान

• बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रु.365 करोड़ का प्रावधान

• प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन हेतु रु.350 करोड़ का प्रावधान

• सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु रु.326 करोड़ का प्रावधान

• शीत ज्वर हेतु रु.252 करोड़ का प्रावधान

• अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण हेतु रु.250 करोड़ का प्रावधान

• निदेशन और प्रशासन हेतु रु.195 करोड़ का प्रावधान

• विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु रु.121 करोड़ का प्रावधान
• स्वागस्य्यो संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यववस्थु हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा क्षेत्र

• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु रु.2390 करोड़ का प्रावधान
• अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु रु.271 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु रु.244 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु रु.205 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु रु.154 करोड़ का प्रावधान
• अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु रु.141 करोड़ का प्रावधान

खेल एवं युवक कल्याण

• खेलों इंडिया एम.पी. हेतु रु.166 करोड़ का प्रावधान
• खेल अकादमियों की स्थापना हेतु रु.148 करोड़ का प्रावधान
• स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु रु.127 करोड़ का प्रावधान
• तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
• व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु रु.708 करोड़ का प्रावधान
• ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु रु.469 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु रु.301 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु रु.300 करोड़ का प्रावधान
• स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु रु.250 करोड़ का प्रावधान
• पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु रु.223 करोड़ का प्रावधान
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना हेतु रु.107 करोड़ का प्रावधान

स्कूल शिक्षा

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु रु.11485 करोड़ का प्रावधान
• माध्यमिक शालायें हेतु रु.6705 करोड़ का प्रावधान
• समग्र शिक्षा अभियान हेतु रु.5100 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु रु.3389 करोड़ का प्रावधान
• सी. एम. राइज हेतु रु.2738 करोड़ का प्रावधान
• अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु रु.933 करोड़ का प्रावधान
• आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
• साइकिलों का प्रदाय हेतु रु.310 करोड़ का प्रावधान
• पंचायती राज संस्थाओ के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु रु.279 करोड़ का प्रावधान
• विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु रु.228 करोड़ का प्रावधान
• पी.एम.श्री हेतु रु.225 करोड़ का प्रावधान
• स्टार्स परियोजना हेतु रु.168 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु रु.151 करोड़ का प्रावधान
• अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु रु.125 करोड़ का प्रावधान
• निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु रु.124 करोड़ का प्रावधान
• जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु रु.114 करोड़ का प्रावधान
• विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु रु.113 करोड़ का प्रावधान
• जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था - मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु रु.104 करोड़ का प्रावधान
• शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक क्षेत्र

• अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) हेतु रु.765 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु रु.281 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु रु.158 करोड़ का प्रावधान
• एकीकृत छात्रावास योजना हेतु रु.150 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु रु.129 करोड़ का प्रावधान
• विविध छात्रवृत्तियां हेतु रु.105 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु रु.104 करोड़ का प्रावधान
• सीनियर छात्रावास हेतु रु.103 करोड़ का प्रावधान

जनजातीय कार्य

• प्राथमिक शालाएं हेतु रु.4024 करोड़ का प्रावधान
• माध्यमिक शालाएं हेतु रु.2553 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु रु.1178 करोड़ का प्रावधान
• सी. एम. राइज हेतु रु.667 करोड़ का प्रावधान
• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
• पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु रु.450 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु रु.443 करोड़ का प्रावधान
• सीनियर छात्रावास हेतु रु.423 करोड़ का प्रावधान
• आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु रु.259 करोड़ का प्रावधान
• आश्रम हेतु रु.229 करोड़ का प्रावधान
• एकीकृत छात्रावास योजना हेतु रु.208 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1) हेतु रु.150 करोड़ का प्रावधान
• जूनियर छात्रावास हेतु रु.139 करोड़ का प्रावधान
• छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु रु.125 करोड़ का प्रावधान
• जिला प्रशासन हेतु रु.121 करोड़ का प्रावधान
• विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान
• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण

• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु रु.900 करोड़ का प्रावधान
• छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु रु.288 करोड़ का प्रावधान
• 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु रु.140 करोड़ का प्रावधान

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु रु.2400 करोड़ का प्रावधान
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु रु.1144 करोड़ का प्रावधान
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु रु.392 करोड़ का प्रावधान
• दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु रु.250 करोड़ का प्रावधान

अधोसंरचना क्षेत्र (ऊर्जा)

• 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु रु.7612 करोड़ का प्रावधान
• अटल गृह ज्योति योजना हेतु रु.3500 करोड़ का प्रावधान
• रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) हेतु रु.3156 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु रु.2300 करोड़ का प्रावधान
• अटल कृषि ज्यो्ति योजना हेतु रु.780 करोड़ का प्रावधान
• म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु रु.600 करोड़ का प्रावधान
• उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीक़रण हेतु रु.565 करोड़ का प्रावधान
• टैरिफ अनुदान हेतु रु.440 करोड़ का प्रावधान

जल संसाधन

• बांध तथा संलग्र कार्य हेतु रु.2860 करोड़ का प्रावधान
• नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु रु.1197 करोड़ का प्रावधान
• कार्यपालिक स्थापना हेतु रु.1071 करोड़ का प्रावधान
• लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं हेतु रु.631 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• बांध तथा नहरें हेतु रु.116 करोड़ का प्रावधान
• नहरें तथा तालाब हेतु रु.110 करोड़ का प्रावधान

नर्मदा घाटी विकास

• आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस-2 हेतु रु.750 करोड़ का प्रावधान
• नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 हेतु रु.600 करोड़ का प्रावधान
• चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना हेतु रु.425 करोड़ का प्रावधान
• हाण्डिया बैराज परियोजना हेतु रु.400 करोड़ का प्रावधान
• मोरान्ड गंजाल परियोजना हेतु रु.400 करोड़ का प्रावधान
• काली सिंध लिंक परियोजना हेतु रु.350 करोड़ का प्रावधान
• एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल हेतु रु.320 करोड़ का प्रावधान
• बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु रु.300 करोड़ का प्रावधान
• खालवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना हेतु रु.260 करोड़ का प्रावधान
• झिरन्या माइक्रो सिंचाई योजना हेतु रु.250 करोड़ का प्रावधान
• नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 1 एवं 2 हेतु रु.224 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु '200 करोड़ का प्रावधान
• भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• हाट पिपल्या सिंचाई योजना हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खर्च हेतु रु.154 करोड़ का प्रावधान
• नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु रु.120 करोड़ का प्रावधान

लोक निर्माण

• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु रु.1500 करोड़ का प्रावधान
• केन्द्रीय सड़क निधि हेतु रु.1150 करोड़ का प्रावधान
• सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु रु.1100 करोड़ का प्रावधान
• एन्यूटी हेतु रु.825 करोड़ का प्रावधान
• मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु रु.750 करोड़ का प्रावधान
• अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत हेतु रु.730 करोड़ का प्रावधान
• वृहद पुलों का निर्माण हेतु रु.675 करोड़ का प्रावधान
• मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु '600 करोड़ का प्रावधान
• नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु रु.350 करोड़ का प्रावधान
• संभागीय कार्यालय स्थापना हेतु रु.316 करोड़ का प्रावधान
• मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु रु.300 करोड़ का प्रावधान
• सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य हेतु रु.215 करोड़ का प्रावधान
• एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण हेतु रु.150 करोड़ का प्रावधान
• एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान
• मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी

• जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु रु.7672 करोड़ का प्रावधान
• पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु रु.703 करोड़ का प्रावधान
• प्रशासन हेतु रु.538 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु रु.356 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु रु.200 करोड़ का प्रावधान
• प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु '199 करोड़ का प्रावधान
• नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु रु.133 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान

नगरीय एवं ग्रामीण विकास

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रु.4000 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु रु.3500 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रु.1788 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु रु.1000 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु रु.901 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु रु.900 करोड़ का प्रावधान
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु रु.800 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
• निर्मल भारत अभियान हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) हेतु रु.500 करोड़ का प्रावधान
• मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु रु.390 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास हेतु रु.300 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु रु.268 करोड़ का प्रावधान
• विकास खण्ड कार्यालय हेतु रु.198 करोड़ का प्रावधान
• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- डी.डी.यू.जी.के.वाय. हेतु रु.150 करोड़ का प्रावधान

****

शासकीय आय क्या बाप की जागीर, जो दिखाओगे नहीं

प्रदेश में सबसे महंगे पेट्रोल डीजल गैस, शराब परिवहन पंजीयन शुल्क भी सबसे ज्यादा

परिवहन, खनन, वन, पंजीयन, आबकारी, विद्युत आदि राजस्व आय बजट में प्रदर्शित क्यों नहीं?
क्या सब का उपयोग विज्ञापनों सरकारी कार्यक्रमों में उड़ानें खर्च के लिये आरक्षित

मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकारें 2014 के पहले तक काफी ईमानदार समझी जाती थीं। जो जनधन को बहुत सोच समझकर खर्च करती थीं। घोर भ्रष्ट गुजराती मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद अधिकांश भाजपा शासित राज्यों की सरकारें मोदी की लूडो खाओ अपना व्यक्तिगत निवेश, व्यापार व मोटी कमाई के स्तोत्र बढ़ाओ की नीति पर चलने लगीं। जिसे मध्य प्रदेश में शिवराज ने उसी प्रणाली पर चलते हुए शासकीय कार्यों में हर कदम लूट डकैती भ्रष्टाचार का तांडव करना शुरू कर दिया।

फिर आपने भ्रष्टाचारों को छुपाने मोदी की तरह शिवराज ने भी हर दिन दैनिक समाचार पत्रों को दो से चार पेज के विज्ञापन न्यूज़ चैनलों को 4 से 10 मिनट के विज्ञापन न केवल प्रदेश के बल्कि देश के समाचार पत्रों को बांटना भी शुरू कर दिया जो लगभग प्रतिदिन 50 से 100 करोड़ का हो गया और यही पद्धति मोहन यादव ने भी अपनाई हर दिन किसी न किसी बहन ए दो से चार पेज के विज्ञापन लगातार बड़े दैनिक समाचार पत्रों में छपवाने शुरू कर दिए ताकि उनकी भ्रष्टाचार जलसा जिओ नाकामियों असफलताओं को समाचार पत्र वाले ना छापे बदले में 30 से 40 हजार करोड़ रुपये वर्ष के विज्ञापन का आवश्यक खर्च जनता के माथे पर डाल दिया गया।

दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बाकी है प्रदेश में परिवहन पंजीयन आबकारी खनन वन विद्युत आदि की लगभग 50000 करोड रुपए से ज्यादा की आय कहां जा रही है जितना पैसा सामने से मध्य प्रदेश की सरकार को राजस्व प्राप्तियां होती है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 55 से 60000 मेगावाट बिजली जल व ताप के अतिरिक्त पवन व सौर ऊर्जा से उत्पन्न की जा रही है जिसमें सौर ऊर्जा में अधिकांश पैसा सरकार का लगा हुआ है।

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की जिन्हें अब कंपनियों में परिवर्तित कर दिया गया है अकेले जल और कोयले के ताप से 30000 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है जबकि मध्य प्रदेश का कुल उपभोग 22 से 24000 मेगावाट है। आखिर वह जो बिजली 35000 मेगावाट बिजली बेंची जा रही है। आखिर उसका पैसा कहां जा रहा है?

बेशक अटल की सरकार के समय पर अमेरिकी जालसाज डकैत पूंजीपतियों के विश्व घातक व्यवसाय संगठन के इशारों पर देश व प्रदेश की सभी शासकीय संस्थाओं को जानबूझकर व्यावसायिक कंपनियों में इसीलिए बदला गया। ताकि उनकी मोटी कमाई से आसानी से मुख्य, मंत्री, संत्री, भारतीय प्रताड़ना सेवा के प्रधान सचिव कंपनियों के एमडी सीजीएम आसानी से भारी हेर फेर कर मोटी कमाई करते रहें। मोदी के दबाव और इशारे पर 2018-19 में मध्य प्रदेश की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को अदानी को बेचा गया। वह बंदा प्रतिमा 10 से 20हजार मेगावाट बिजली चोरी करके पाकिस्तान को बेच रहा है क्योंकि भास्कर ने दिसंबर 2020 में बताया था कि 8000 करोड रुपए महीने की बिजली अडानी पाकिस्तान को बेच रहा है जब अडानी के पास में बड़े पावर प्लांट नहीं है तो यह बिजली कहां से आ रही है दूसरी तरफ जिस अदानी पावर की 20-21 की बैलेंस शीट में मात्र साढे 13 करोड़ का लाभ दिखाया गया था वह 22 23 में साडे 13000 करोड़ का लाभ कैसे कमाने लगी? दूसरी तरफ लगातार शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में अनेकों स्थान पर बड़े-बड़े सोलर प्लेट्स लगाकर बिजली उत्पादन किया वह बिजली कहां जा रही है? उसके बारे में प्रदीप सरकार ऊर्जा मंत्री उर्जा सचिव के साथ एमपी पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सब के सब चुप क्यों है? उसका पैसा कहां जा रहा है क्यों नहीं जनता के सामने बताया जाता।

अधिकांश प्रदेश के टोल टैक्स सड़कों पर टोल की लागत से ज्यादा वसूली की जा रही है तो वह सारे संबंधित टोल कंपनी के सारे समझौते खत्म क्यों नहीं किए जाते और एक तरफ जनता को राहत क्यों नहीं दी जाती और राहत नहीं दी जाती तो उसे पैसे का उपयोग सड़कों के विकास में और लोक निर्माण विभाग के खर्चों में क्यों नहीं उपयोग किया जाता उसका धन का आवंटन मध्य प्रदेश के बजट से क्यों किया जाता है?

मध्य प्रदेश के बजट में कृषि ग्रामीण विकास शहरी विकास शिक्षा स्वास्थ्य आदिम जाति कल्याण व अन्य अनेकों योजनाओं में ऐसे मदों में पैसा आवंटित किया गया है जो वास्तविकता में धरातल पर नहीं दिखती और अधिकांश योजना का पैसा कागजों पर हजम कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है केंद्रीय सड़क निधि ग्रामीण विकास शिक्षा स्वास्थ्य विद्युत कृषि उद्यानिकी वन आदि अनेकों योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं। जिनका केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है। उनको भी बजट में प्रदेश सरकार के खर्चे के रूप में दिखाकर पैसा हजम करने का षड्यंत्र है।

90% केस डायरी पैसे के दम पर बनाई व बदली जाती है

धन और सत्ता की कठपुतली पुलिस, पीड़ितों का करती है शोषण

न्यायालय पलटा देते हैं पुलिस की कहानी, बना देते हैं उसी को अपराधी

भारत में पूरी केंद्र व राज्यों की सत्ता सरकारें, प्रशासन, पुलिस सारे मंत्रालय, न्यायालय, जालसाज भ्रष्ट धनपतियों के गुलाम हैं।

भारत के गृह मंत्रालय और उसकी सारी पुलिस गजब की कहानीकार अपराधियों को पालने वाली घोर भ्रष्ट जालसाज, चालबाज पुलिस फरियादी को अपराधी, अपराधी को फरियादी बना देने में सिद्धहस्त होती है। अधिकांश पूंजीपतियों जालसाजों जो मोटा धन खर्च करते हैं उन्हें बचाने के लिए पुलिस पीड़ितों को फसाने के साथ-साथ निर्दोषों को फसाने जीवन बर्बाद करने के खेल की बड़ी खिलाड़ी होती है परंतु कभी-कभी यह उसका खेल न्यायालय में जाकर न्यायाधीशों के सामने आने और सच्चाई के विश्लेषण के बाद उसके गले की घंटी बन जाता है। भारतीय न्यायालय में एक सिद्धांत कार्य करता है कि भले ही 100 अपराधी बच जायें पर एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। पर भारत के अधिकांश भाजपा शासित राज्यों की पुलिस सैकड़ों अपराधियों से वसूली करने के बाद निर्दोषों को फंसाने में सिद्धहस्त होने के साथ-साथ आज भारत की जेलों में करीबन 40ञ निर्दोष पुलिस की धनलोलुपता, भ्रष्टाचारों, जालसाजियों, चालबाजियों के कारण सढ़ाये जा रहे हैं। 2014 के बाद से जब से मोदी ने सत्ता संभाली पुलिस निरंकुश होने के साथ-साथ वह सत्ताधीश भुखेरा झुंड पार्टी गिरोह के सांसद विधायक पार्षद सरपंच होने पर आप देख रहे हैं बड़े से बड़े जगन्य अपराध करने के बाद में भी पुलिस उनको सुरक्षित करती रहती है और यह बात न केवल प्रदेश में बल्कि अधिकांश भाजपा आशीष राज्यों में जिसमें विशेष तौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी हत्या बलात्कार पाक्सो के अपराधियों को बचाने का तांडव सत्ता के सारे पढ़ना आज कर पुलिस मूकदर्शक बन करती रहती है। ज्ञानी और बुद्धिमान न्यायाधीश के सामने केस डायरी प्रस्तुत होने पर कभी-कभी यह मामला पुलिस के गले की घंटी बन जाता है जैसा कि इंदौर उच्च न्यायालय में हुआ। पुलिस अफसरों की मनमानी और भ्रष्टाचार के कई प्रकरण सामने आए है, ये प्रकरण बताता है कुछ पुलिस अफसरों को लगता है कानून उनकी मुट्ठी में है और वो जैसा करेंगे उस पर कौन सवाल उठाएगा और उन्हें दंडित कौन करेगा? ज्यादा से ज्यादा आरोपी बरी होगा, वो तो मजे में रहेंगे, चंदन नगर थाना, अनपूर्णा थाना, विजय नगर थाना के बाद लसुड़िया थाने का ऐसा केस हमारे सामने आया है जिसमे थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, विभागीय कार्यवाही करने का आदेश ज्ञानी और बुद्धिमान न्यायाधीश ने दिया है, विभागीय कार्यवाही हुई है। फर्जी दस्तावेज बना कर, न्यायालय को धोखा देने पर डीसीपी, टीआई सहित 08 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर 07 गंभीर अपराधिक धाराओं में अपराध दर्ज करने का आदेश एम.जी. रोड़ थाने को देने वाले ज्ञानी और बुद्धिमान न्यायाधीश माननीय श्री जय कुमार जैन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को हम हृदय से सराहना करते है, इस तरह के निर्णय से ही निर्दोष सजा से बच सकेंगे और पुलिस अफसरों के द्वारा मोटी कमाई करने भ्रष्ट साठगांठ करके न्यायालयों में फर्जीवाड़ा करने पर लगाम लगेगी। कविता रैना केस में भी आरोपी बरी हो गया, भूमाफियाओं पर दर्ज एफआईआर में एक साथ 22 एफआईआर में खात्मा पेश किया गया है... पुलिस मूल आरोपियों को बरी करवाने और निर्दोष को सजा दिलवाने के लिए साजिशें रच रही है, इस केस में भी पुलिस अफसरों ने यही सोचा होगा, मूल आरोपी और जिसे फर्जी आरोपी बनाया है वो भी साक्ष्य के अभाव में और गलत इस्तगाशा होने पर बरी हो जाएगा और केस दफन हो जाएंगे....उनकी करतूत भी नही खुलेगी, खेल चलते रहेंगे...किंतु ज्ञानी और बुद्धिमान न्यायाधीश जैन साहब ने न्याय का डंडा चला दिया...और पुलिस अफसरों का खेल उजागर हो गया... यही कारण होते है, कांड होते रहने के, जिन्हे पुलिस आरोपी बनाती है वो बरी हो जाते है, घटना तो होती है, करता कौन है? ये साबित ही नही होता है? हां अगर आमजन से इस तरह के फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो जाते तो पुलिस केस दर्ज करने में यही प्रक्रिया अपनाती क्या? जो पुलिस अफसरों पर केस दर्ज करने में अपना रही है। अगर दोषी पुलिस अफसरों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है और बचाव के लिए अवसर दिए जाते है और जो विधि सम्मत नही हो उन तर्कों को स्वीकार किया जाता है, तो फिर कानून सभी के लिए एक समान कहा हुआ?

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों
उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों
ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के
विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व
samaymaya.com की वेबसाइट पर
समाचार, शिकायतें और विज्ञापन
(प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है
एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958